

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, झुंगरपुर

निसल नं० 688
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटोए

निर्णय दिनांक-27-06-18

प्रार्थी श्री अग्नि पि० श्वातु :: निर्णय ::

जति मौजा उम्र निक नि० देवली तहसील झुंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदायत मालमा दिनांक 27-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा प्राणमा पंचायत समिति में स्थित खाता संख्या 8 पर आराजी नं० 174 कुल 1 बीघा 6 बिस्वा किता 1 योग रकबा 1-06-2 मर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीना (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस दजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी रुपा पि० प्रसा नि० देवली ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम देवली के खसरा नं० 100 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 8 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार कास्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा देवली में स्थित खाता संख्या 8 पर आराजी नं० 174 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 1-06-2 की पत्थर गढी कराने का इकदार है।

लिहाजा मौजा देवली में स्थित खाता संख्या 8 पर आराजी नं० 174 रकबा 1-06-2 कुल किता 1 कुल रकबा 1-06-2 विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, झुंगरपुर भू०अ० निरीक्षक पुनाली के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, झुंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 550/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा कराये तनी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली नैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
झुंगरपुर